Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषि उपज मंडी समितियों का वित्तीय एवं संरचनात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में)

डॉ. आकांक्षा राठौर*

* सहायक प्राधयापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों की आय-व्यय, कृषि उपज की आवक तथा अधोसंरचनात्मक विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि गत पाँच वर्षों में मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यप्रणाली में क्या परिवर्तन हुए हैं। शोध में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो मुख्यत: छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड तथा ई-नाम पोर्टल से संकलित हैं। सांख्यिकीय विधियों जैसे माध्य, मानक विचलन, विचरण एवं सहसंबंध विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

आंकडों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ हैं कि वर्ष 2020 से 2025 के दौरान मंडी समितियों की आय एवं व्यय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आय और व्यय के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.63 है, जो मध्यम सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। कृषि उपज की कुल आवक में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसका सहसंबंध गुणांक 0.956 है, जो अत्यधिक सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा मंडी समितियों में गोदाम, सड़क, तौल कांटा, कृषक विश्रामगृह आदि जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विपणन व्यवस्था अधिाक संगठित व पारदर्शी हुई है।

शोध में यह पाया गया कि मंडी व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है, जो डिजिटलीकरण, अधोसंरचना विकास तथा आधुनिक कृषि के समन्वय का परिणाम है। तकनीकी निगरानी, महिला कृषक भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाओं का विस्तार और कृषक जागरूकता के माध्यम से कृषि उपज मंडी समितियों को और अधिाक सशक्त बनाया जा सकता है।

शब्द कुंजी – कृषि उपज मंडी समिति, अधोसंरचना विकास, ई-नाम (eNAM) पोर्टल,छत्तीसगढ़ राज्यकृषि विपणनमंडी बोर्ड, सहसंबंध गुणांक।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडी समितियाँ राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल कृषि विपणन को व्यवस्थित करती हैं, बल्कि किसानों की आय, जीवन स्तर एवं सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडी समितियों का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 121 उपमंडियाँ कार्यरत हैं।

इन मंडी समितियों का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समय पर उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्धा कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व प्रथम वर्ग की 2, द्वितीय वर्ग की 5, तृतीय वर्ग की 20 तथा चतुर्थ वर्ग की 43 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत थीं। राज्य स्थापना के पश्चात 3 स्वतंत्र मंडियों की स्थापना की गई, जिससे कुल मंडियों की संख्या 73 हो गई। बाद में परिसीमन के कारण 5 मंडियों को बंद कर उन्हें उपमंडी घोषित किया गया, साथ ही 1 नवीन मंडी पखांजूर की स्थापना की गई।

वर्तमान में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उपमंडियाँ सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कृषि उपज मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति, कृषि उपज की आवक तथा अधोसंरचना विकास में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण करता है।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संचालक मंडल– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। इस मंडल के वर्तमान अध्यक्ष माननीय रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं।अन्य सदस्यों में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, संचालक कृषि, सचिव वित्त विभाग, तथा राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक सम्मिलित हैं। यह संचालक मंडल कृषि उपज मंडी समितियों के क्रियाकलापों की निगरानी,अधोसंरचना विकास, नीति निर्धारण तथा शासन के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. कृषि उपज मंडी समितियों की आय एवं व्यय में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
2. कृषि उपज आवक में परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. कृषि उपज मंडी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति – यह शोध पत्र एक वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति, कृषि उपज आवक और अधोसंरचनात्मक विकास की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन करना है।अध्ययन की समयावधि वर्ष 2020 से 2025 तक निर्धारित की गई है, जिससे इन पाँच वर्षों की प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों का विश्लेषण संभव हो सके।

सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया गया है:–

1. मानक विचलन(Standard Deviation):–सांख्यिकीय आँकड़ों में व्याप्त उतार–चढ़ाव अथवा विविधता को समझने के लिए।
2. सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient `r'):–आय–व्यय दिशा एवं तीव्रता का आकलन करने के लिए।
3. सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient `r') :–आवक की दिशा एवं तीव्रता का आकलन करने के लिए।

आंकड़ोंका विश्लेषण–

राज्य की समस्त मण्डी समितियों की कुल वर्षवार आय एवं व्यय

वर्ष	आय राशि (लाख रूपयो में)	व्यय राशि (लाख रूपयो में)
2020–2021	42422.27	28912.83
2021–2022	46513.64	30368.81
2022–2023	59033.33	40963.72
2023–2024	52211.54	50314.01
2024–2025	47887.31	41917.03

तालिका 1 वर्ष 2024–2025 के दौरान छत्तीसगढ़ मंडी समितियों की आय एवं व्यय

कृषि उपज मंडी समितियों की आय एवं व्यय विश्लेषण से वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में समितियों की वित्तीय स्थिति की प्रवृत्तियों में परिवर्तन का अध्ययन किया गया हैं।वर्ष 2020 से 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी समितियों की कुल आय एवं व्यय में उल्लेखनीय उतार–चढ़ाव देखने को मिला।वर्ष 2020–2021 में मंडी समितियों की कुल आय रू. 42,422.27 लाख रही, जबकि कुल व्यय रू. 28,912.83 लाख था। इसके बाद वर्ष 2021–2022 में आय में वृद्धि होकर यह रू.46,513.64 लाख तक पहुँची, और व्यय रू. 30,368.81 लाख तक बढ़ गया।वर्ष 2022–2023 में आय में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहाँ यह रू. 59,033.33 लाख तक पहुँची, वहीं व्यय रू. 40,963.72 लाख रहा। इसके पश्चात् 2023–2024 में आय में गिरावट आई और यह रू. 52,211.54 लाख रही, जबकि व्यय रू. 50,314.01 लाख तक बढ़ गया। वर्ष 2024–2025 में आय रू. 47,887.31 लाख और व्यय रू. 41,917.03 लाख दर्ज किया गया।

इन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मंडी समितियों की आय और व्यय के बीच मध्यम सकारात्मक सहसंबंध मौजूद है। सहसंबंध गुणांक का मान 0.63 है, जो संकेत करता है कि जैसे–जैसे मंडी समितियों की आय में वृद्धि हुई, व्यय में भी तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है।

यह सहसंबंध राज्य की मंडी व्यवस्था में वित्तीय विस्तार और व्यय की बढ़ती आवश्यकताओं जैसे –अधोसंरचनात्मक विकास, डिजिटल उपकरणों का समावेश, तथा मंडी संचालन से जुड़ी प्रशासनिक आवश्यकताओं की ओर इंगित करता है। इस प्रकार, मंडी समितियों की वित्तीय गतिविधियों में समग्र वृद्धि परिलक्षित होती है, जो कृषि विपणन व्यवस्था के विस्तार और मजबूत की ओर अग्रसर होती प्रतीत हो रही है।

राज्य की समस्त मण्डी समितियों में कुल वर्षवार –

वर्ष	आवक टन में
2020–2021	12964326
2021–2022	13128275
2022–2023	14571997
2023–2024	18005645
2024–2025	18990047

तालिका 2 वर्ष 2020–2025 में कृषि उपज मंडी समिति की कुल आवक

वर्ष 2020–2021 में मंडियों में कुल 1,29,64,326 टन कृषि उपज की आवक दर्ज की गई। इसके पश्चात् वर्ष 2021–2022 में यह आँकड़ा बढ़कर 1,31,28,275 टन हो गया, जो कि एक स्थिर लेकिन सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।वर्ष 2022–2023 में आवक में अधिक तीव्र वृद्धि देखी गई और यह 1,45,71,997 टन तक पहुँच गई। यह वर्ष 2023–2024 में और भी तीव्र हुआ, जहाँ कुल आवक 1,80,05,645 टन रही। अंतिम वर्ष 2024–2025 में यह आँकड़ा 1,89,90,047 टन तक पहुँच गया, जो अध्ययन अवधि की सर्वोच्च आवक है। वर्ष 2020–2025 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडियों में कुल उपज आवक में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

उपज आवक के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि–मानक विचलन (Standard Deviation)– 25,04,774 टन है, जो दर्शाता है कि उपज आवक के आँकड़े औसत से कितनी भिन्नता रखते हैं। सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient r)– 0.956 प्राप्त हुआ है, जो उपज आवक के बीच अत्यधिक सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है।सकारात्मक सहसंबंध स्पष्ट संकेत देता है कि समय के साथ कृषि उपज की आवक में निरंतर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कई कारकों जैसे:–विपणन प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि, ई–नाम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल नवाचार, मंडी परिसरों में संरचनात्मक विकास और किसानों की बढ़ती भागीदारी और जागरूकता का परिणाम है।इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की मंडी व्यवस्था न केवल वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ हुई है, बल्कि इसकी परिचालन क्षमता और पहुंच भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिससे कृषि उपज आवक में सकारात्मक प्रवृत्ति स्थापित हुई है।

मंडी सुविधाएँ एवं संरचनात्मक विकास – छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के माध्यम से बुनियादी अधोसंरचना का उल्लेखनीय विकास किया गया है। इस विकास में गोदामों का निर्माण, नीलामी चबूतरे, आंतरिक पक्की सड़कें, कृषक विश्रामगृह, प्रतीक्षा शेड, समुचित प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वॉल एवं सुरक्षा प्रबंधा, इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे, ग्रेडिंग मशीनें, कंप्यूटर कक्ष, जल आपूर्ति, शौचालय तथा कैफेटेरिया जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।इन संरचनात्मक सुविधाओं ने किसानों को स्वच्छ, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित विपणन मंच उपलब्ध कराया है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक तौल और ग्रेडिंग सुविधाओं से किसानों को उनकी उपज का

सही मूल्य मिलने में मदद मिली है। डिजिटल कंप्यूटर कक्ष एवं ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म की उपलब्धता से किसानों की बाजार पहुँच भी बढ़ी है। इन विकास कार्यों से मंडियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आई है तथा किसानों की बाजार में उपस्थिति सशक्त हुई है। परिणामस्वरूप उनकी उत्पादकता, लाभप्रदता और विपणन अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

क्र.	संभाग का नाम	गोदामों की कुल संख्या	कुल भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)
1	रायपुर	155	1,19,524
2	दुर्ग	71	67,370
3	बिलासपुर	97	94,400
4	जगदलपुर	187	70,390
5	अंबिकापुर	32	55,800
कुल	राज्य का योग	542	4,07,484

तालिका 3 -वर्ष 2025 में कृषि उपज मंडी समिति की कुल गोदामों की संख्या और क्षमता

छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी प्रणाली में गोदामों का वितरण असमान है। रायपुर मंडी संभाग में सर्वाधिक भंडारण क्षमता (1,19,524 मीट्रिक टन) है, जबकि जगदलपुर में सर्वाधिक गोदाम (187) हैं, लेकिन उनकी औसत क्षमता कम है। अंबिकापुर में गोदामों की संख्या और क्षमता दोनों सबसे कम हैं। कुल 542 गोदामों की 4.07 लाख मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह असंतुलन कृषि उपज की गुणवत्ता और किसानों की आय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, भविष्य में गोदामों के विकेंद्रीकरण, नए निर्माण और आधुनिक भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष – छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों का 2020से 2025 की अवधि में किया गया वित्तीय एवं संरचनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि राज्य की मंडी समितियों की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आय, कृषि उपज आवक तथा अधोसंरचना विकास में क्रमिक सुधार हुआ है, जिससे मंडियों की कार्यक्षमता और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि हुई है। तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम और एगमार्कनेट ने व्यापार को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया है। साथ ही, मंडी अधिनियम में संशोधन और निजी निवेश ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ मंडियों में प्रशासनिक सुधार और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता बनी हुई है। समग्र रूप से, कृषि उपज मंडी प्रणाली राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

सुझाव:

1. डिजिटल निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाया जाए।
2. किसानों को मूल्य निर्धारण व विपणन पर प्रशिक्षण दिया जाए।
3. अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार उपमंडियों तक किया जाए।
4. महिला कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
5. मंडी समितियों में शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडल, वार्षिक प्रतिवेदन (2020-2025)
2. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ई-नाम प्रगति प्रतिवेदन (2022)
3. कृषि विपणन एवं सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंडी अधोसंरचना विकास प्रतिवेदन (2023)
4. कुमार, संजय एवं सिंह, प्रवीण (2021). भारत में कृषि विपणन सुधार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, आर्थिक समीक्षा जर्नल
5. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), जयपुर . मंडी संरचना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन (2021)
6. छत्तीसगढ़ शासन, ई-गवर्नेंस एवं एग्रीमार्कनेट पोर्टल आँकड़े (2024)

वेबसाइट:-

1. http://agriportal.cg.nic.in
2. https://www.cgstate.gov.in

****